B.P.44

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

सचिव,
आर0वी0 हायर एजूकेशन एण्ड टैक्नीकल इंस्टीट्यूट,
चिटहेरा, दादरी (गौतमबुद्ध नगर)

पत्रांक : सम्बद्धता/1116
दिनांक : 30.06.2006
13-7

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 760/जी.एस. दिनांक 19.06.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन आर0वी0 हायर एजूकेशन एण्ड टैक्नीकल इंस्टीट्यूट, चिटहेरा, दादरी, गौतमबुद्ध नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एंव समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार आर0वी0 हायर एजूकेशन एण्ड टैक्नीकल इंस्टीट्यूट, चिटहेरा, दादरी, गौतमबुद्ध नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

ह0/- कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

R.V. Higher Edu. & Tech. Inst.
Gen. Secretary

कुलसचिव